(b) if so, when the first session is planned to be held in the South?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उठाये गये घाटे

1238. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को भारी घाटे हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में इसमें घाटे का प्रतिशत क्या रहा है और निरंतर हो रहे इन घाटों के लिए वास्तव में कौन व्यक्ति जिम्मेदार है;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने आम जनता को मिलने वाले दूध की कीमतों को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और क्या घाटों को पूरा करने के लिए दूध की कीमतों में वृद्धि ही एक मात्र उपाय है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य के लिए सरकार का क्या आश्वासन है और यदि नहीं, तो इस पर सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान): (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर दूध की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करना है इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का विक्रय मूल्य अक्सर उत्पादन लागत से कम स्तर पर रखा जाता है। जिसके लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को हुए घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	घाटा अंकों में / प्रतिशतता
1992-93	33.18 करोड़ रुपए / 25 प्रतिशत
1993-94	12.79 करोड़ रुपए / 11 प्रतिशत
1994-95	8.91 करोड़ रुपए / 9 प्रतिशत

तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य प्रणाली में हुए सुधार के परिणामस्वरूप, घाटे के रूख में कमी आई है।

(ग) से (ङ) दूध के उत्पादन / अधिप्राप्ति / प्रसंस्करण लागत में वृद्धि के अनुरूप दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

दूध के विक्रय मूल्य को उत्पादन लागत के बराबर रखकर इस घाटे को समाप्त किया जा सकता है। हाल ही में किए गए कुछ सुधारों के परिणामस्वरूप इस संयंत्र के प्रचालन की दक्षता में वृद्धि हुई है।

Contingency Plans for Disaster Management

1239. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that each State Government and Union Territory Administration prepares its own contingency plans for disaster management created by natural calamities like drought, flood etc.;

(b) if so, the role played by the Central Government in preparation of such plans and in funding them;

(c) whether Government have funded contingency plans for disaster management prepared by Government of Maharashtra during the last three years;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether any special relief has been provided to drought affected farmers of the state during the current financial year; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) Government of India have prepared and circulated a Contingency Action Plan (CAP) to all State Governments/Union Territories Administrations to facilitate launching of relief operations in the wake of natural calamites. The CAP provides

for formulation of State and district level action plans for dealing with such situations. The relief and rehabilitation measures are financed by a Calamity Relief Fund (CRF) which is contributed by the Government of India to the extent of 75%.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) and (f) Government of India has so far released three instalments of Central share of CRF amounting to Rs. 36.21 crores during 1995-96 to the Government of Maharashtra for undertaking relief measures in areas affected by natural calamities including drought.

कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल

1240. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री नागमणि:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) देश में सिंचित भूमि, अर्ध-सिंचित भूमि और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर भूमि का क्षेत्रफल कितना-कितना है;

(ग) क्या चालू योजना के दौरान सिंचित और अर्ध-सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है; और

(घ) इस संबंध में पूर्ण योजना अवधि के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) भूमि उपयोग के अभिलेखों के अनुसार, 1992-93 के दौरान (नवीनतम उपलब्ध वर्ष) देश में कृषि योग्य कुल भूमि 184.4 मिलियन हैक्टेयर थी।

(ख) 1992-93 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार, देश में 142.51 मिलियन हेक्टेयर निवल बुआई क्षेत्र में से वास्तविक सिंचित क्षेत्र 50.10 मिलियन हेक्टेयर तथा असिंचित या वर्षा सिंचित क्षेत्र 92.41 मिलियन हैक्टेयर था।

पानी के उपयोग की प्रबलता पर आधारित आंशिक तौर पर सिंचित क्षेत्र के संबंध में आंकड़े भूमि उपयोग आंकड़ों के अन्तर्गत एकत्रित नहीं किये जाते हैं।

(ग) चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(घ) अतिरिक्त सिंचाई की संभावना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1992-97 के दौरान रखा जाने वाला लक्ष्य 15.8 मिलियन हेक्टेयर निर्धारित किया गया।

कपास की फसल को कपास के कीड़ों से नुकसान

1241. **श्री रामजीलाल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपास की फसलों पर एक ऐसा कपास का कीड़ा लगा है जिस पर कीटनाशकों का असर नहीं होता;

(ख) सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इससे हुए नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी हां। चालू मौसम के दौरान कपास की फसलों में अमरीकी बालवार्म नामक कीड़ा लगने की कुछ घटनाओं के बारे में सरकर को जानकारी है। इस कीड़े पर कुछ निश्चित कीटनाशकों का कोई असर नहीं होता।

(ख) इसको रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(i) ऐसे किड़ों पर लगातार निगरानी रखना और सामयिक तथा उचित नियंत्रण उपायों को मानीटर करना।

(ii) समेकित कपास कीट प्रबंध को अपनाने के लिए विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवर्धन प्रक्रियाओं को अपनाना तथा अधिमानतः गैर-रासायनिक साधनों का उपयोग भी शामिल है।

(iii) गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था।

(iv) उपर्युक्त (क) को देखते हुए किसानों को क्षति की प्रतिपूर्ण के लिए राहत पहुंचाने का प्रश्न नहीं होता।